

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग


परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर (राज.) 302005

क्रमांक: प.7(51) परि/नियम/मु./2010/23365 जयपुर, दिनांक: 15/12/2020

कार्यालय आदेश 26/2020

राज्य में संचालित चालक प्रशिक्षण संस्थानों की कार्य प्रणाली को विनियमित व विनियंत्रित करने की दृष्टि से विभाग द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 11/2018 के माध्यम से मोटर ड्राइविंग स्कूल विनियमन एवं विनियंत्रण स्कीम "एम.डी.एस.आर-2018" लागू की गई थी। इस स्कीम के कुछ प्रावधानों की पालना में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों एवं समस्याओं को दूर करने हेतु कार्यालय आदेश संख्या 11/2018 दिनांक 12.04.2018 के बिन्दु संख्या 2 के उपबिंदु संख्या (3) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"(3) सी श्रेणी का स्कूल ऐसा स्कूल होगा जो मोटर साईकिल, हल्के एवं भारी वाहन अथवा हल्के एवं भारी वाहन के प्रशिक्षण हेतु अधिकृत है तथा बी श्रेणी के स्कूल के रूप में निरन्तरता में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव रखता है।"


(रवि जैन)

परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक : प 7(51) परि/नियम/मु./2010/23366-71 जयपुर, दिनांक: 15/12/2020

प्रतिलिपि:

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
4. समस्त प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी।
5. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


अपर परिवहन आयुक्त (नियम)